



संख्या-118/आई/1294539/2026/012-89-1002/18/2026

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2026
विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक 4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विषेश घटक योजना-03- आई.टी.आई. अलीगंज लखनऊ में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र एवं 4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विषेश घटक योजना-04-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-390/दस/ए०सी०-1/2230/2026-27, दिनांक 06.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक 4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विषेश घटक योजना-03- आई.टी.आई. अलीगंज लखनऊ में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र एवं 4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विषेश घटक योजना-04-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु कुल रूपये 218.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक 4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विषेश घटक योजना-03- आई.टी.आई. अलीगंज लखनऊ में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र हेतु रूपये 8.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिये विषेश घटक योजना-04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु रूपये 210.00 लाख अर्थात् कुल **रूपये 218.00 लाख (रूपये दो करोड़ अठारह लाख मात्र)** की धनराशि स्वीकृत करते हुए आपके निर्वर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1)- स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए धनराशि का विनियोग आय-व्ययक नियम संग्रह से सम्बंधित नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा। इसका भी ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) ही अकेले किसी भी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिसे करने के लिए आय-व्ययक नियम संग्रह और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की जहां आवश्यकता हो, व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2)- व्यय करते समय मितव्ययिता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी किये गये तथा भविष्य में जारी किये जाने वाले शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(3)- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4250007890300 आई.टी.आई. अलीगंज लखनऊ में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र मानक मद 25 लघु निर्माण कार्य (2) रुपये 2,10,00,000 (रुपये दो करोड़ दस लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4250007890400 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मानक मद 25 लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/वित्त 5 (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ०प्र०, 125, जवाहर, भवन, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।